http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 10/ 2015/ 638/ 77-1-2015-40(टी)/ 2004

प्रेषक,

दिवांशु कुमार,
उपसचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग, उ0प्र0,
कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 26 अगस्त, 2015

विषय:- उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि0 की बाराबंकी स्थित कताई मिल के अवशेष कर्मचारियों/ अधिकारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि0 की बाराबंकी स्थित कताई मिल में डाउन साइजिंग के फलस्वरूप मिल के अवशेष कर्मचारियों/ अधिकारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) दिये जाने के प्रयोजन हेतु रू0 11,79,00,000.00 (रूपये ग्यारह करोड उन्यासी लाख मात्र) की धनराशि ब्याज रहित ऋण के रूप में प्रदान किये जाने की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि उक्त धनराशि आहरित कर तत्काल उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि0, कानपुर को उपलब्ध करायी जायेगी।

2- उक्त ऋण की शर्तें निम्नवत होंगी :-

1. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन में किया जाएगा, जिस प्रयोजन के लिए स्वीकृत की गयी है।
2. उपर्युक्त ऋण का प्रतिदान उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि0 की बाराबंकी स्थित कताई मिल की परिसम्पत्तियों के निस्तारण/ विक्रय से प्राप्त होने वाली धनराशि से किया जाएगा। इस धनराशि के प्रतिदान/ किश्तों का भुगतान 05 वार्षिक किश्तों में किया जायेगा, जिसकी प्रत्येक किश्त रू0 2,35,80,000.00 (रू0 दो करोड पैंतीस लाख अस्सी हजार मात्र) की होगी।
3. उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग बाराबंकी स्थित कताई मिल के अधिकारियों/ कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित कट आफ डेट दिनांक 30.06.2015 मानकर उस दिनांक तक वीआरएस के अन्तर्गत देय धनराशि का भुगतान हेतु किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि का भुगतान सार्वजनिक उद्यम विभाग के वीआरएस से संबंधित शासनादेशों के अनुसार पात्र व्यक्तियों को शासनादेश के मार्ग-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
5. वीआरएस के क्रियान्वयन के फलस्वरूप जो पद रिक्त होंगें, उस पर भविष्य में कभी भी भर्ती/ नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा ऐसे पदों को विधिक बन्दी की तिथि से समाप्त माना जायेगा।
6. इस धनराशि का तभी आहरण होगा, जब यह सुनिश्चित हो जाए कि इसका त्वरित उपयोग सम्भव है, यदि इसके त्वरित उपयोग की आवश्यकता न हो तो उस दशा में इस धनराशि का आहरण आवश्यक्तानुसार किश्तों में किया जायेगा।

...........2

3- उक्त ऋण के आहरण की सूचना महालेखाकार, राजकोष, कार्यालय महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि व लेखाशीर्षक निम्नवत अंकित करते हुए भेजी जाये :-

(क)- कोषागार का नाम।

(ख)- चालान संख्या व दिनांक।

(ग)- जमा धनराशि किश्त एवं ब्याज।

(घ)- लेखाशीर्षक, जिसके अन्तर्गत जमा किया गया किश्त/ ब्याज।

(च)- शासनादेश संख्या तथा एसएलआर का सन्दर्भ।

(छ)- पिछले जमा का सन्दर्भ:-

(1) आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0, कानपुर, आहरण के प्रत्येक वर्ष का मिलान अपने लेखों से अवश्य करें।

(2) भविष्य में शासन द्वारा ऋण तभी स्वीकृत किया जायेगा, जब यह सुनिश्चित किया जाये कि ऋणी संस्थान ने इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखों से करा लिया है, ताकि प्रत्येक वर्ष अवशेष ऋण की स्थिति शासन को स्पष्ट रहे और महालेखाकार कार्यालय से इस आशय का प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध करा दें।

4- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्गत/ निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन कंपनी में तैनात वित्त नियंत्रक/ लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो उक्त अधिकारीगण का व्यक्गित दायित्व होगा कि इनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को उपलब्ध करा दिया जाये। मिल के लेखा विभाग के कर्मचारियों/ अधिकारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का लाभ अन्त में दिया जाएगा।

5- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि रू0 11,79,00,000.00 (रूपये ग्यारह करोड उन्यासी लाख मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 62 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- "6075-विविध-सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज-आयोजनेत्तर-800-अन्य कर्ज-03-रूग्ण निगमों आदि को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना हेतु कर्ज-30-निवेश/ ऋण" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 पत्र संख्या- बी-4-112/ दस-2015, दिनांक 19 अगस्त, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(दिवांशु कुमार)
उपसचिव।

संख्या- 10/ 2015/ 638(1)/ 77-1-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कं0लि0, कानपुर।

3- कोषाधिकारी, कानपुर नगर।

..........3

http://shasanadesh.up.nic.in

4- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कं0लि0, कानपुर।
5- नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/ 4, उ0प्र0 शासन।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दिवांशु कुमार)
उपसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in